



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052025-263034
CG-DL-E-10052025-263034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 10, 2025/वैशाख 20, 1947

No. 262]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 10, 2025/VAISAKHA 20, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2025

सं. 12/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 305(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है, में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'टाइटेनियम डाइऑक्साइड', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 2823 00 10, 3206 11 10 और 3206 11 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 6/03/2024-डीजीटीआर, दिनांक 12 फरवरी, 2025, जिसे दिनांक 12 फरवरी, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में निर्णय दिया है कि –

- विषयगत वस्तुओं को विषयगत देश से भारत में डंप कीमतों पर निर्यात किया गया है;
- विषयगत देश से विषयगत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;
- विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के डंप आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	कुल धनराशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28230010, 32061110, और 32061190 *	टाइटेनियम डाइऑक्साइड**	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड (समूह) कं, लिमिटेड अनहुई गोल्ड स्टार टाइटेनियम डाइऑक्साइड ट्रेडिंग कं, लिमिटेड	609	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम संसाधन प्रौद्योगिकी कं. लिमिटेड शेडोंग जिन्हाई टाइटेनियम कं. लिमिटेड	563	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	एलबी ज़ियांगयांग टाइटेनियम उद्योग कंपनी लिमिटेड, और एलबी सिचुआन टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड एलबी लुफेंग टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड एलबी गुप कंपनी लिमिटेड	460	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	कुल धनराशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					हेनान बिलियन्स एडवांस्ड मटेरियल कं. लिमिटेड			
4.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	****गैर-नमूना सहकारी उत्पादक	510	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5.	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	विषय देश के अलावा कोई भी देश	क्रम संख्या 1, 2, 3, और 4 के अलावा कोई भी निर्माता	681	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
6.	-वही-	-वही-	विषयगत देश के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	681	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

*नोट- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विषयगत वस्तु के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

****निम्नलिखित को छोड़कर:**

क्र.सं.	बाहर रखे गए उत्पाद	बाहर रखे गए उत्पाद का वर्णन और विवरण
1	खाद्य	रंग जैसे खाद्य योजकों में उपयोग किया जाने वाला खाद्य टाइटेनियम डाइऑक्साइड
2	फार्मा	टेबलेट फिल्म कोटिंग में भाग के रूप में प्रयुक्त टाइटेनियम डाइऑक्साइड
3	त्वचा की देखभाल	टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग यूवी- अवशोषक और फोटोकैटेलिस्ट अनुप्रयोगों के लिए कॉस्मेटिक्स और सनस्क्रीन लोशन में किया जाता है
4	वस्त्र	फाइबर के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला कपड़ा टाइटेनियम डाइऑक्साइड / टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसका उपयोग मुख्य रूप से उसकी फोटो-कैटालिटिक स्व-सफाई, यूवी-सुरक्षा और डिलस्टरिंग क्षमताओं आदि के कारण वस्त्र और रेशों के उत्पादन में किया जाता है, को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हालाँकि, इस प्रकार उसे बाहर रखा जाना टाइटेनियम डाइऑक्साइड पर लागू नहीं होता है जिसका उपयोग वस्त्र/परिधान/कपड़े/फैब्रिक पर छपाई के लिए वर्णक के रूप में किया जाता है।
5	फाइबर	फाइबर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग कृत्रिम फाइबर को डिलस्टर करने के लिए किया जाता है और इस फाइबर का उपयोग वस्त्रों के उत्पादन के लिए किया जाता है। फाइबर ग्रेड सामग्री का उपयोग फाइबर धागे के साथ मिश्रण करने के लिए किया

		जाता है ताकि कपड़ा खुद बनाया जा सके। टाइटेनियम डाइऑक्साइड रूटाइल ग्रेड डेकोर पेपर बनाने के लिए (फाइबर/पल्प चरण पर उपयोग किया जाता है)।
6	नैनो या अल्ट्राफाइन	नैनो या अल्ट्राफाइन टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसका कण आकार 100 एनएम से कम है, का उपयोग कपड़ा/पेंट उद्योग में धूल मुक्त कपड़ा/पेंट जैसी विशेषताएं देने के लिए किया जाता है।

****गैर-नमूना सहकारी उत्पादक:

1. यिविन तियानयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
2. पैंगांग समूह की चोंगकिंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
3. पैंगांग ग्रुप टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
4. जियांगशी तिकोन टाइटेनियम प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (एक ट्रानॉक्स कंपनी)
5. कुनमिंग डोंगहाओ टाइटेनियम कंपनी लिमिटेड
6. इंटर-चाइना केमिकल कंपनी लिमिटेड
7. अनहुई अन्नदा टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
8. शेडोंग डोगाइड ग्रुप कंपनी लिमिटेड
9. कियानजियांग फ्रांगयुआन टाइटेनियम उद्योग कं, लिमिटेड
10. जिनान युक्सिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
11. निंगबो शिनफू टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपनी लिमिटेड
12. शेन्डोंग टाइटेनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. 190349/3/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2025

No. 12/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 305(E).— Whereas in the matter of “Titanium dioxide” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 2823 00 10, 3206 11 10 and 3206 11 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/03/2024-DGTR, dated the 12th February, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 12th February, 2025, has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject country;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country;

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the following of the Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	28230010, 32061110, and 32061190 *	Titanium Dioxide**	China PR	Any country including China PR	Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd. Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd.	609	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd.	563	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China	LB Xiangyang Titanium Industry Co Ltd., and	460	MT	USD

Sl. No.	Tariff Item	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PR	LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd.			
					LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd.			
					LB Group Co., Ltd.			
					Henan Billions Advanced Material Co., Ltd.			
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	****Non-Sampled Cooperative Producers	510	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country other than subject country	Any producer other than Sl no. 1, 2, 3, and 4	681	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than subject country	China PR	Any	681	MT	USD

*Note-Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the product under consideration.

****Excluding the following:**

S. No.	Product excluded	Description of the excluded product and details
1	Food	TiO ₂ used in food additives like food colouring
2	Pharma	TiO ₂ used as ingredient in tablet film coatings
3	Skin-care	TiO ₂ is used in cosmetics and sunscreen lotions for UV-absorbing and photocatalyst applications
4	Textile	TiO ₂ used in production of textile/fibre. TiO ₂ which is used in the production of textiles and fibres largely because of its photo-catalytic self-cleaning, UV-protection and delustering abilities, etc. is excluded from the scope of product under consideration. However, such exclusion does not extend to the TiO₂ that is used as a pigment for printing over the textile/garment/cloth/fabric.
5	Fibre	TiO ₂ is used for delustering the artificial fibre and this fibre is used to product the

		<i>textiles. Fibre grade materials are used to blend with fibre threads to make the cloth itself. TiO₂ Rutile grade for making décor paper (used at fibre/pulp stage).</i>
6	<i>Nano or ultrafine</i>	<i>Nano or ultrafine titanium dioxide having particle size below 100 nm used in textile/paint industry to offer characteristics such as dust free textile/paint.</i>

****Non-Sampled Cooperative Producers

1. *Yibin Tianyuan Group Co., Ltd*
2. *Chongqing Titanium Industry Co., Ltd. of Pangang Group*
3. *Pangang Group Titanium Industry Co., Ltd.*
4. *Jiangxi Tikon Titanium Products Co Ltd (A Tronox Company)*
5. *Kunming Donghao Titanium Co., Ltd.*
6. *Inter-China Chemical Co., Ltd.*
7. *Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd.*
8. *Shandong Doguide Group Co., Ltd.*
9. *Qianjiang Fangyuan Titanium Industry Co., Ltd.*
10. *Jinan Yuxing Chemical Co., Ltd.*
11. *Ningbo Xinfu Titanium Dioxide Co., Ltd.*
12. *Shandong Dawn Titanium Industry Co., Ltd.*

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190349/3/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.